प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 173 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता)

बुक नं0

1. जिला जयपुर थाना प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र0 नि0ब्यूरो जयपुर वर्ष 2024
प्र0इ0रि0सं0..........233/2024 दिनांक ...18.10.2024
(I) धारा 13(1)(ई) सपठित 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं धारा 12, 13(1)(बी) सपठित 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथासंशोधित 2018) व 120बी भा.द.सं.
(II) अधिनियम..धाराऐं ....
(III) अधिनियम..धाराऐं..................................
(IV)अन्य अधिनियम एवं धाराऐं..
2. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या..........763..............समय..........10:15 Am
(ब) अपराध घटने का दिन.........................दिनांक.......................समय......
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक...............................समय.......
3. सूचना की किस्म :– लिखित / मौखिक लिखित
4. घटनास्थल :–
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी करीब
(ब) पता – ....
....बीट संख्या............................जरायमदेही सं.
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो.......
पुलिस थाना..जिला..................................

5. परिवादी / सूचनाकर्ता :–**सूत्र सूचना**
(अ) नाम –
(ब) पिता / पति का नाम
(स) जन्म तिथि / वर्ष..
(द) राष्ट्रीयता...
(य) पासपोर्ट संख्या.. जारी होने की तिथि..........
जारी होने की जगह...
(र) व्यवसाय...
(ल) पता –

6. ज्ञात / अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्ठियों सहित :–
7.

1.. श्री छत्रपाल सिंह पुत्र श्री महेन्द्रपाल सिंह महाप्रबंधक तकनीकी विभाग राजकॉम्प इन्फॉ सर्विस लि0, योजना भवन, जयपुर,
2. संदिग्ध अधिकारी की पहली पत्नी श्रीमती मोहिनी राठौड़,
3. संदिग्ध अधिकारी की दूसरी पत्नी श्रीमती अन्जू शर्मा,
4. श्री उमेश शर्मा पुत्र श्री मनवीर शर्मा निवासी सी–402, 4th फ्लोर, ब्लॉक –सी, फोरच्यून रेजीडेन्सी, टॉवर –सी राजनगर एक्सटेन्सन, गाजियाबाद, उत्तरप्रदेश,
5. श्री सचिन्द्र गर्ग निवासी विला नम्बर Z-104, गोल्फ लिंक, लैण्ड काफ्ट, एनएच 24 गाजीयाबाद,
6. श्रीमती साक्षी कंसल पत्नी शुभम कंसल निवासी 180 सिहानी, नूरनगर, गाजियाबाद उत्तरप्रदेश व अन्य

8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :– कोई विलम्ब नही
9. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्ठियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)
10. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य
11. पंचनामा / यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो)..
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाऐं) :–

महोदय,

विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि संदिग्ध अधिकारी श्री छत्रपाल सिंह (PAN NUMBER - ANVPS8142B) पुत्र श्री महेन्द्रपाल सिंह जो मूल रूप से डबली मौलवी बास हनुमानगढ का का रहने वाला है व वर्तमान में 31 महादेव नगर सोडाला जयपुर में निवास कर रहा है, इसके अतिरिक्त फ्लैट नम्बर 1206 , 1306 व 1401 एयर अपार्टमेन्ट श्याम नगर सब्जी मण्डी के सामने, मदरामपुरा अजमेर रोड जयपुर में भी अपनी दूसरी पत्नी श्रीमती अंजु शर्मा के साथ निवास करना ज्ञात हुआ है। संदिग्ध अधिकारी का जन्म दिनांक 28.01.1973 को होना सूत्रों से ज्ञात हुआ है। संदिग्ध अधिकारी की माता का नाम श्रीमती शिवराज कंवर है, जो गृहणी है व संदिग्ध अधिकारी का विवाह श्रीमती मोहिनी राठौड (PAN NUMBER - CHNPR6375P) से होना व श्रीमती मोहिनी राठौड गृहणी होना सूत्रों से ज्ञात हुआ है। संदिग्ध अधिकारी के एक पुत्र श्री हर्षवर्धन है, जो वर्तमान में अध्ययन करना सूत्रों से ज्ञात हुआ है। 24.04.2022 को संदिग्ध अधिकारी ने एक अन्य महिला श्रीमती अन्जू शर्मा (PAN NUMBER - EZPPS9394H) से विवाह द रानी विलास, सिसोदिया गार्डन जयपुर में करना भी सूत्रों से ज्ञात हुआ है। सूत्रों से ज्ञात हुआ कि संदिग्ध अधिकारी ने अपने पुत्र श्री हर्षवर्धन सिंह को जंयपुर के सेन्ट जेवियर्स स्कूल में पढाई करवाना सूत्रों से ज्ञात हुआ है।

संदिग्ध अधिकारी द्वारा स्वयं व अपने परिवारजनों के नाम से जयपुर व अन्य स्थानों पर विभिन्न परिसम्पतियां खरीद करना ज्ञात हुआ है। विभागीय नियमों के अन्तर्गत सरकारी अधिकारी/कर्मचारी के निकटतम परिवारजनों यथा पत्नी, माता, पुत्र एवं पुत्री के नाम से कोई परिसम्पति क्रय करता है तो उसकी सूचना संबंधित विभागाध्यक्ष को देनी होती है व राज्य के समस्त राजकीय अधिकारियों/कर्मचारियों को अपनी चल–अचल सम्पति का विवरण ऑनलाईन राजकाज सॉफ्टवेयर पर अपलॉड करना होता है, संदिग्ध अधिकारी द्वारा राजकाज पोर्टल पर आईपीआर अपलॉड नहीं करना भी सूत्रों से ज्ञात हुआ है। संदिग्ध अधिकारी द्वारा आचरण नियमों के विरूद्ध ऐसा कार्य किया जा रहा है। उक्त कृत्य सदिग्ध अधिकारी के द्वारा भ्रष्टाचार से आय के ज्ञात स्त्रोतों से भिन्न स्त्रोतों से अर्जित धन का दुरूपयोग का सटीक उदाहरण है।

संदिग्ध अधिकारी की आम छवि भ्रष्ट अधिकारी की होना जानकारी में आया है। संदिग्ध अधिकारी की राजकीय सेवा में नियुक्ति से पूर्व पारिवारिक पृष्ठभूमि सामान्य होना तथा नियुक्ति के पश्चात अचानक रहन सहन का स्तर आय के वैध ज्ञात स्त्रोतो से उच्च स्तर का होना ज्ञात हुआ है। संदिग्ध अधिकारी ने अपने सेवाकाल में अनेक विदेश यात्राएं करना भी सूत्रों से ज्ञात हुआ है।

सूत्रों से ज्ञात हुआ कि संदिग्ध अधिकारी राजकीय सेवा में वर्ष 1997(सम्भावित वर्ष) में नियुक्त होकर वर्तमान में राजकॉम्प इन्फ्रॉ सर्विस लि0, जयपुर में महाप्रबंधक तकनिकी विभाग के पद पर कार्यरत है।

संदिग्ध अधिकारी की दूसरी पत्नी श्रीमती अन्जू शर्मा की बैंक डिटैल के विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि श्रीमती अन्जू शर्मा ने अपने भाई उमेश शर्मा के बैंक खाते में लाखों रूपये जमा करवाये हैं व श्री उमेश शर्मा जो वर्तमान में सी–402, 4th फ्लोर, ब्लॉक –सी, फोरच्यून रेजीडेन्सी, टॉवर –सी राजनगर एक्सटेन्सन, गाजियाबाद, उत्तरप्रदेश में रह रहा है। श्री उमेश शर्मा के नाम से एक फर्म ला–टेक सोल्यूसन पता– 5 ए 39 6ठां तल क्लाउड 9 सेक्टर 1 वैशाली गाजियाबाद, उत्तरप्रदेश– 201010 व ब्रांच कार्यालय का पता संदिग्ध अधिकारी के नाम फ्लैट संख्या 1401 श्याम नगर अजमेर रोड जयपुर होना ज्ञात हुआ है। उक्त फर्म में श्री उमेश शर्मा का 50 प्रतिशत हिस्सा है। संदिग्ध अधिकारी के दूसरी पत्नी का भाई श्री उमेश शर्मा निवासी सी–402, 4th फ्लोर, ब्लॉक –सी, फोरच्यून रेजीडेन्सी, टॉवर –सी राजनगर एक्सटेन्सन, गाजियाबाद, उत्तरप्रदेश के उपरोक्त आवास पर संदिग्ध अधिकारी द्वारा बहुमुल्य परिसम्पत्तियों के दस्तावेज व अन्य दस्तावेजात रखने की सम्भावना है। अतः प्रकरण दर्ज होने के उपरान्त उक्त आवास की तलाशी लिया जाना उचित रहेगा।

सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि श्री उमेश शर्मा द्वारा स्वयं की आयकर विवरणिका वर्ष 2012–13, 2013–14, 2022–23 व 2023–24 में स्वयं की कुल आय 12,44,000/ दर्शा रखी है जबकि श्री उमेश

शर्मा गाजियाबाद शहर में स्वंय के नाम पॉश कॉलोनी में स्थित फ्लैट में निवास कर रहा है। चुंकि संदिग्ध अधिकारी की दूसरी पत्नी श्रीमती अन्जू शर्मा की बैंक डिटैल के विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि श्रीमती अन्जू शर्मा ने अपने भाई उमेश शर्मा के बैंक खाते में लाखों रूपये जमा करवाये हैं। श्रीमती अंजू शर्मा द्वारा अपने भाई उमेश शर्मा को ट्रांसफर किये गये लाखों रूपये संदिग्ध अधिकारी के होना सूत्रों से ज्ञात हुआ है। श्री उमेश शर्मा के आय के स्त्रोंतों व बैंक खातों में हुए लेनदेन के संबंध में प्रकरण दर्ज होने के उपरान्त श्री उमेश शर्मा से अनुसंधान किया जाना उचित रहेगा।

संदिग्ध अधिकारी की दूसरी पत्नी श्रीमती अन्जू शर्मा के नाम से फर्म हैप्पी हार्ट फाउण्डेसन जयपुर होना भी सूत्रों से ज्ञात हुआ है। उक्त फर्म वर्तमान में 3rd फ्लोर, प्लॉट नम्बर 25, युधिष्ठिर मार्ग, डियर पार्क के सामने, सी–स्किम, अशोक नगर जयपुर में संचालित करना सूत्रों से ज्ञात हुआ है, जिसमें संदिग्ध अधिकारी की दूसरी पत्नी श्रीमती अंजु शर्मा द्वारा उक्त फर्म के माध्यम से चिंता, तनाव, अवसाद, भावनात्मक दर्द, पिछले जीवन के मुद्दों, दर्दनाक तनाव, संबंध परामर्श, कैरियर परामर्श, ध्यान के लिए मौखिक और गैर मौखिक चिकित्सा में सहायता प्रदान करने का कार्य करना सूत्रों से ज्ञात हुआ है। उक्त फर्म के बैंक खाते में हुए लेनदेन के संबंध में विस्तृत अनुसंधान प्रकरण दर्ज करने के उपरान्त किया जाना उचित रहेगा।

सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि संदिग्ध अधिकारी द्वारा Simply divine के नाम से स्पा 507/6, लेन नम्बर 6 राजापार्क जयपुर में संचालित किया जा रहा है। उक्त स्पा के संबंध में गोपनीय जानकारी की गई तो ज्ञात हुआ कि स्पा के संचालन हेतु संदिग्ध अधिकारी ने विभिन्न वेबसाईटों पर प्रचार करने के लिए स्वयं के मोबाईल नम्बर [redacted] प्रदर्शित कर रखे हैं। उक्त स्पा में किये गये व्यय के संबंध में विस्तृत अनुसंधान प्रकरण दर्ज करने के उपरान्त किया जाना उचित रहेगा।

सूत्रों से ज्ञात हुआ कि एक दूपहिया वाहन होण्डा मोटरसाईकिल स्कूटर (2WN) रजिस्ट्रेशन नम्बर RPK0018 मैसर्स फ्रेम इन्टरनेशनल ट्रस्ट डी–10 आनन्द विहार जगतपुरा जयपुर के नाम से पंजीकृत है व वाहन की आरसी में संदिग्ध अधिकारी के मोबाईल नम्बर [redacted] रजिस्टर्ड हैं। यहां यह उल्लेखनीय है कि संदिग्ध अधिकारी की पहली पत्नी श्रीमती मोहिनी राठौड के नाम आईसीआईसीआई बैंक में स्थित खाता संख्या 001201620450 में दिनांक 16.01.2020 को उक्त मैसर्स फ्रेम इन्टरनेशनल ट्रस्ट के बैंक खाते से 50,000/रूपये क्रेडिट होना पाया गया है। उक्त वाहन व फर्म मैसर्स फ्रेम इन्टरनेशनल ट्रस्ट का संदिग्ध अधिकारी से संबंध का विस्तृत अनुसंधान प्रकरण दर्ज करने के उपरान्त किया जाना उचित रहेगा।

सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि संदिग्ध अधिकारी की पहली पत्नी श्रीमती मोहिनी राठौड के इण्डसईण्ड बैंक शाखा सिविल लाईन जयपुर शाखा कोड 0883 में लॉकर होना ज्ञात हुआ है। लॉकर में संदिग्ध अधिकारी द्वारा महत्वपूर्ण व कीमती दस्तावेज, ज्वैलरी, नकदी व अन्य बहुमुल्य सामान रखने की पूर्ण सम्भावना है। अतः प्रकरण दर्ज होने के उपरान्त उक्त लॉकर की तलाशी लिया जाना उचित रहेगा।

संदिग्ध अधिकारी के निवास स्थान 31 महादेव नगर सोडाला जयपुर के भौतिक सत्यापन के दौरान एक वाहन चेवरोलेट क्रूज नम्बर आरजे 14 सीएम 7063 खडा मिला। उक्त वाहन श्री हिम्मत सिंह के नाम से होना पाया गया है। गोपनीय सूत्रों से ज्ञात हुआ कि उक्त वाहन संदिग्ध अधिकारी द्वारा प्रयोग में लिया जा रहा है।

संदिग्ध अधिकारी के नाम एक दुपहिया वाहन बीएमडब्लयू नम्बर एचपी 38एफ 8564 हिमाचल प्रदेश से वर्ष 2020 में खरीद करना सूत्रों से ज्ञात हुआ है, दूपहिया वाहन की आर.सी. में नाम पता श्री छत्रपाल सिंह पुत्र श्री महेन्द्रपाल सिंह निवासी दमतल, तह. इन्दौरा कांगडा हिमाचल प्रदेश होना ज्ञात हुआ। उक्त वाहन खरीद के संबंध में गोपनीय सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि संदिग्ध अधिकारी द्वारा हिमाचल प्रदेश के नूरपुर जिले के ट्रांसपोर्ट कार्यालय में आधार कार्ड प्रस्तुत कर वाहन को स्वयं के नाम रजिस्ट्रेशन करवाया गया है। जिसमें आधार कार्ड के नम्बर 964784584654 होना ज्ञात हुआ है,

जबकि संदिग्ध अधिकारी के वास्तविक आधार नम्बर 864587504869 होना पाया गया है। संदिग्ध अधिकारी द्वारा कूटरचित आधार कार्ड का इस्तेमाल कर स्वयं के नाम परिसम्पत्ति बीएमडब्ल्यू दुपहिया वाहन को छूपाने व अवैध लाभ(यथा–आरटीओ टैक्ट आदि) अर्जित करने के तथ्य पाये गये हैं। चुंकि उक्त अपराध का घटनास्थल नूरपुर हिमाचल प्रदेश है अतः इस संबंध में संदिग्ध अधिकारी के विरूद्व कार्यवाही हेतु प्रकरण दर्ज होने के उपरान्त हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार को पृथक से लिखा जाना उचित रहेगा।

गोपनीय सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि संदिग्ध अधिकारी की दूसरी पत्नी श्रीमती अंजु शर्मा के इण्डसईण्ड बैंक के खाता संख्या 158306771967 में श्री सचिन्द्र गर्ग निवासी विला नम्बर Z-104, गोल्फ लिंक, लैण्ड काफ्ट, एनएच 24 गाजीयाबाद द्वारा दिनांक 24.02.2023 को 18,00,000/रूपये व दिनांक 15.03.2023 को 10,00,000/रूपये डलवाये गये व श्रीमती साक्षी कंसल पत्नी शुभम कंसल निवासी 180 सिहानी, नूरनगर, गाजियाबाद उत्तरप्रदेश द्वारा दिनांक 02.03.2023 को 12,00,000/रूपये जमा करवाये गये। यहां यह उल्लेखनीय है कि उक्त खाता संख्या में 40,00,000/रूपये आने के पश्चात श्रीमती अंजु शर्मा द्वारा स्वयं के नाम फ्लैट खरीद में काम में लेने के पश्चात उक्त बैंक खाते को बन्द करवा दिया गया। उक्त रूपयों को श्री अंजु शर्मा द्वारा श्री सचिन्द्र गर्ग व श्रीमती साक्षी कंसल को वापस देने संबंधित विवरण बैंक खातों के स्टेटमेन्ट में नहीं पाये गये हैं। इस प्रकार उक्त समस्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि संदिग्ध अधिकारी की दूसरी पत्नी श्रीमती अंजु शर्मा द्वारा श्री सचिन्द्र गर्ग व श्रीमती साक्षी कंसल के साथ मिलीभगत कर अवैध रूपयों का लेनदेन कर परिसम्पत्ति हासील की गई।

संदिग्ध अधिकारी श्री छत्रपाल सिंह द्वारा राजकीय सेवा में आने के बाद स्वयं एवं स्वयं के परिजनो के नाम से अर्जित परिसम्पत्तियों का गोपनीय रूप से विभिन्न राजकीय उपक्रमों/सोसायटी एवं बैंक आदि से जानकारी की जाकर सत्यापन किया गया है।

संदिग्ध अधिकारी व संदिग्ध अधिकारी के परिजनों द्वारा अर्जित वैध आय, खर्च एवं अर्जित परिसम्पत्तियों का ब्यौरा निम्नलिखित है :–

परिशिष्ट ''अ''

संदिग्ध अधिकारी श्री छत्रपाल सिंह पुत्र श्री महेन्द्रपाल सिंह महाप्रबंधक तकनीकी विभाग राजकॉम्प इन्फॉ सर्विस लि0, जयपुर की चैक पिरियड सेवा में आने से पूर्व अर्जित परिसम्पत्तियाः–

क्र सं.	परिसम्पत्ति का विवरण	परिसम्पत्ति का मूल्य
1	शून्य	शून्य

परिशिष्ट ''ब''

संदिग्ध अधिकारी श्री छत्रपाल सिंह पुत्र श्री महेन्द्रपाल सिंह महाप्रबंधक तकनीकी विभाग राजकॉम्प इन्फॉ सर्विस लि0, जयपुर की चैक पिरियड सेवा में आने से अब तक में अर्जित परिसम्पत्तियाः–

क्र सं.	परिसम्पत्ति का विवरण	परिसम्पत्ति का मूल्य
1.	संदिग्ध अधिकारी व एसओ की माता श्रीमती शिवराज कंवर के नाम एक प्लॉट 31 महादेव नगर सोडाला जयपुर 321 वर्गगज वर्ष 2006 में खरीद करना ज्ञात हुआ है। उक्त प्लॉट को तत्समय अनुमानित 15000 रूपये प्रति वर्गगज के हिसाब से खरीद किया जाना सूत्रों से ज्ञात हुआ है। उक्त प्लॉट को कय करने में कुल 48,15,000/रूपये व्यय करने का अनुमान है। प्लॉट क्रय करने के पश्चात संदिग्ध अधिकारी ने उक्त प्लॉट को जेडीए जयपुर से पट्टा जारी करवाना ज्ञात हुआ है जिस पर 36,696 रूपये व्यय करने का अनुमान है। उक्त प्लॉट पर संदिग्ध अधिकारी द्वारा मकान का निमार्ण वर्ष 2006 में करना	78,51,696/रूपये

	सूत्रों से ज्ञात हुआ है। निमार्ण कार्य में करीब 30,00,000/रूपये व्यय करने का अनुमान है। इस प्रकार उक्त प्लॉट को क्रय करने, जेडीए से पट्टा जारी करवाने व निर्माण करने में 78,51,696/रूपये व्यय करने का अनुमान है।	
2.	संदिग्ध अधिकारी द्वारा एक फ्लैट नम्बर 1401, 14वां फलॉर एयर अपार्टमेन्ट मदरामपुरा अजमेर रोड जयपुर दिनांक 02.02.2022 को स्वयं के नाम से 87,74,013/रूपये (खरीद कीमत व रजिस्ट्रेशन, अन्य शुल्क)में खरीद करना ज्ञात हुआ है।	87,74,013/रूपये
3	संदिग्ध अधिकारी द्वारा एक फ्लैट नम्बर 1206 व 1306, 12वां व 13वां फलॉर एयर अपार्टमेन्ट मदरामपुरा अजमेर रोड जयपुर दिनांक 02.02.2022 को स्वयं की दूसरी पत्नी श्रीमती अंजू शर्मा के नाम से 1,39,54,469/रूपये (खरीद कीमत व रजिस्ट्रेशन, अन्य शुल्क) में खरीद करना ज्ञात हुआ है।	1,39,54,469/रूपये
4	संदिग्ध अधिकारी द्वारा स्वयं के नाम एक दूपहिया वाहन बीएमडब्लयू आर 1250 जीएस एडवेन्चर नम्बर एचपी 38 एफ 8564 दिनांक 31.03.2020 को खरीद करना सूत्रों से ज्ञात हुआ है। संदिग्ध अधिकारी उक्त वाहन को खरीद करने में 25,00,000/रूपये(खरीद कीमत व रजिस्ट्रेशन, अन्य शुल्क) व्यय करने का अनुमान है।	25,00,000/रूपये
5	संदिग्ध अधिकारी द्वारा स्वयं की पहली पत्नी श्रीमती मोहिनी राठौड नाम एक चौपहिया वाहन महिन्द्रा थार नम्बर आरजे 45 सीटी 0066 दिनांक 24.03.2022 को खरीद करना सूत्रों से ज्ञात हुआ है। संदिग्ध अधिकारी उक्त कार को खरीद करने में 19,00,000/रूपये(खरीद कीमत व रजिस्ट्रेशन, अन्य शुल्क) व्यय करने का अनुमान है।	19,00,000/रूपये
6	संदिग्ध अधिकारी के नाम पीएनबी बैंक में बचत खाता संख्या 07002201002304O होना सूत्रों से ज्ञात हुआ है उक्त बैंक खाते में वर्तमान में 58,373/रूपये बलैंस होना अनुमानित है।	58,373/रूपये
7	संदिग्ध अधिकारी की पहली पत्नी श्रीमती मोहिनी राठौड के नाम इण्डसईण्ड बैंक में बचत खाता संख्या 100006735903 होना सूत्रों से ज्ञात हुआ है उक्त बैंक खाते में वर्तमान में 24,269/रूपये बलैंस होना अनुमानित है।	24,269/रूपये
8	संदिग्ध अधिकारी की पहली पत्नी श्रीमती मोहिनी राठौड के नाम एसबीआई बैंक में बचत खाता संख्या 39470223750 होना सूत्रों से ज्ञात हुआ है उक्त बैंक खाते में वर्तमान में 1730/रूपये बलैंस होना अनुमानित है।	1730/रूपये
9	संदिग्ध अधिकारी की दूसरी पत्नी श्रीमती अन्जू शर्मा के नाम एचडीएफसी बैंक में बचत खाता संख्या 50100146458459 होना सूत्रों से ज्ञात हुआ है उक्त बैंक खाते में वर्तमान में 1,22,423/रूपये बलैंस होना अनुमानित है।	1,22,423/रूपये
10	संदिग्ध अधिकारी के पुत्र श्री हर्षवर्धन सिंह के नाम एसबीआई बैंक में खाता संख्या 41045043606 होना सूत्रों से ज्ञात हुआ है।	—
11	संदिग्ध अधिकारी के पुत्र श्री हर्षवर्धन सिंह के नाम आईसीआईसीआई बैंक में खाता संख्या 1201639323 होना सूत्रों से ज्ञात हुआ है।	—

12	संदिग्ध अधिकारी के पुत्र श्री हर्षवर्धन सिंह के नाम आईसीआईसीआई बैंक में खाता संख्या 1213051693 होना सूत्रों से ज्ञात हुआ है उक्त बैंक खाते में वर्तमान में 210/रूपये बलैंस होना अनुमानित है।	210/रूपये
13	संदिग्ध अधिकारी के पुत्र श्री हर्षवर्धन सिंह के नाम आईसीआईसीआई बैंक में खाता संख्या 678101516588 होना सूत्रों से ज्ञात हुआ है।	–
14	संदिग्ध अधिकारी की दूसरी पत्नी श्रीमती अन्जू शर्मा के नाम हैपी हार्ट फाउण्डेसन के नाम आईसीआईसीआई बैंक में खाता संख्या 676005602580 होना ज्ञात हुआ है उक्त खाते में वर्तमान में 5,80,749/रूपये बैलेन्स होना अनुमानित है।	5,80,749/रूपये
योग		3,57,67,932/रूपये

परिशिष्ट ''स''

संदिग्ध अधिकारी श्री छत्रपाल सिंह पुत्र श्री महेन्द्रपाल सिंह महाप्रबंधक तकनीकी विभाग राजकॉम्प इन्फॉ सर्विस लि0, जयपुर की चैक पिरियड सेवा में आने से अब तक प्राप्त आयः–

क्र सं.	चैक अवधि में अर्जित आय का विवरण	आय
1.	संदिग्ध अधिकारी द्वारा वर्ष 2014–15 से अब तक अपनी आयकर विवरणिका में आयकर कटौती के पश्चात् 1,03,79,961/रूपये शुद्व वेतन के रूप में प्राप्त करने का अनुमान है व वर्ष 1997 से वर्ष 2014 तक संदिग्ध अधिकारी द्वारा 45,29,457/रूपये शुद्व वेतन प्राप्त करने का अनुमान है। इस प्रकार संदिग्ध अधिकारी द्वारा चैक अवधि में 1,49,09,418/रूपये शुद्व वेतन के रूप में प्राप्त करने का अनुमान है।	1,49,09,418/रूपये
2.	संदिग्ध अधिकारी की पहली पत्नी श्री मोहिनी राठौड की आयकर विवरणिका जो अब तक भरी है, का विवरण आयकर विभाग से प्राप्त किया गया तो श्रीमती मोहिनी राठौड ने अपनी वर्ष 2017–18 की आयकर विवरणिका में 2,34,100/रूपये आय दर्शा रखी है। इस प्रकार संदिग्ध अधिकारी की पत्नी की चैक पिरियंड में 2,34,100/रूपये आय होने का अनुमान है, जो कि गृहणी है। अतः आय के स्त्रोत बाबत तथ्य अनुसंधान से स्पष्ट होंगे।	2,34,100/रूपये
3	संदिग्ध अधिकारी की दूसरी पत्नी श्री अन्जू शर्मा की आयकर विवरणिका जो अब तक भरी है, का विवरण आयकर विभाग से प्राप्त किया गया तो श्रीमती अंजु शर्मा ने अपनी वर्ष 2018–19, 2022–23 व 2023–24 की आयकर विवरणिका में 11,94,340/रूपये आय दर्शा रखी है। इस प्रकार संदिग्ध अधिकारी की पत्नी की चैक पिरियड में 11,94,340/रूपये आय होने का अनुमान है, इनकी शिक्षा की डिग्रिया संदेहजनक हैं। आय के स्त्रोत बाबत तथ्य अनुसंधान से स्पष्ट होंगे।	11,94,340/रूपये
4	संदिग्ध अधिकारी ने स्वंय के नाम एक फ्लैट नम्बर 1401, 14वां फ्लॉर एयर अपार्टमेन्ट मदरामपुरा अजमेर रोड जयपुर पर आईसीआईसीआई बैंक लोन खाता संख्या एलबीजेएआई 00005926884 से 45,00,000/रूपये का लोन दिनांक 27.01.2022 को लेना ज्ञात हुआ है। इस प्रकार संदिग्ध अधिकारी को लोन पेटे 45,00,000/रूपये आय होने के अनुमान है।	45,00,000/रूपये
5	संदिग्ध अधिकारी ने की दूसरी पत्नी श्रीमती अन्जू शर्मा के नाम एक फ्लैट नम्बर 1206 व 1306, 12वां व 13वां फ्लॉर एयर	71,67,446/रूपये

	अपार्टमेन्ट मदरामपुरा अजमेर रोड जयपुर पर आईसीआईसीआई बैंक लोन खाता संख्या एलबीजेएआई टीबीजेएआई00006701817 से 70,00,000/रूपये का लोन दिनांक 30.06.023 को लेना ज्ञात हुआ है व उक्त परिसम्पत्ति पर मोर्टगेज इन्सयोरेन्स लोन 1,67,446/रूपये का लोन लेना ज्ञात हुआ है। इस प्रकार संदिग्ध अधिकारी को लोन पेटे 71,67,446/रूपये आय होने के अनुमान है।	
योग		2,80,05,304/रूपये

परिशिष्ट ''द''

संदिग्ध अधिकारी श्री छत्रपाल सिंह पुत्र श्री महेन्द्रपाल सिंह महाप्रबंधक तकनीकी विभाग राजकॉम्प इन्फॉ सर्विस लि0, जयपुर की चैक पिरियड सेवा में आने से अब तक किया गया व्ययः–

क्र सं.	चैक अवधि में किये गये व्यय का विवरण	व्यय राशि
1	संदिग्ध अधिकारी द्वारा चैक अवधि में असत्यापनिक व्यय के रूप में नियमानुसार कुल आय में से आयकर घटाने पर शेष शुद्ध आय 1,69,56,949/रूपये का एक तिहाई हिस्सा 56,52,316/रूपये खर्च करने का अनुमान है।	56,52,316/रूपये
2	संदिग्ध अधिकारी द्वारा अपने पुत्र श्री हर्षवर्धन सिंह को जयपुर शहर के नामी व महंगे शिक्षण संस्थानों से पढाई करवाना ज्ञात हुआ है। संदिग्ध अधिकारी द्वारा अपने बेटे की पढाई पेटे 10,00,000/रूपये का व्यय करना अनुमानित है।	10,00,000/रूपये
3	संदिग्ध अधिकारी ने स्वंय के नाम एक फ्लैट नम्बर 1401, 14वां फ्लॉर एयर अपार्टमेन्ट मदरामपुरा अजमेर रोड जयपुर पर आईसीआईसीआई बैंक लोन खाता संख्या एलबीजेएआई 00005926884 से 45,00,000/रूपये का लोन दिनांक 27.01.2022 को लेना ज्ञात हुआ है। उक्त लोन लेने के पश्चात 42,094/रूपये की अब तक कुल 32 किश्तो के रूप में कुल 13,47,008/रूपये बैंक को अदा करना सूत्रों से ज्ञात हुआ है। इस प्रकार संदिग्ध अधिकारी द्वारा लोन पेटे मासिक किश्तों के रूप में कुंल 13,47,008/रूपये व्यय करने का अनुमान है।	13,47,008/रूपये
4	संदिग्ध अधिकारी ने अपनी दूसरी पत्नी श्रीमती अन्जू शर्मा के नाम एक फ्लैट नम्बर 1206 व 1306, 12वां व 13वां फ्लॉर एयर अपार्टमेन्ट मदरामपुरा अजमेर रोड जयपुर पर आईसीआईसीआई बैंक लोन खाता संख्या एलबीजेएआई टीबीजेएआई00006701817 से 70,00,000/रूपये का लोन दिनांक 30.06.2023 को लेना ज्ञात हुआ है व उक्त परिसम्पत्ति पर मोर्टगेज इन्सयोरेन्स लोन 1,67,446/रूपये का लोन लेना ज्ञात हुआ है। उक्त होम लोन लेने के पश्चात 62,981/रूपये की अब तक कुल 15 किश्तो के रूप में कुल 9,44,715/रूपये बैंक को अदा करना सूत्रों से ज्ञात हुआ है व मोर्टगेज इन्सयोरेन्स लोन लेने के पश्चात 1507/रूपये की अब तक कुल 15 किश्तो के रूप में कुल 22,605/रूपये बैंक को अदा करना सूत्रों से ज्ञात हुआ है इस प्रकार संदिग्ध अधिकारी द्वारा लोन पेटे मासिक किश्तों के रूप में कुंल 9,67,320/रूपये व्यय करने का अनुमान है।	9,67,320/रूपये
5.	संदिग्ध अधिकारी द्वारा वर्तमान में एक चौपहिया वाहन महिन्द्रा थार को वर्ष 2022 से उपयोग में लेने में प्रयुक्त ईंधन, बीमा, मेन्टेनेन्स के रूप में लगभग 3,00,000 लाख रूपये व्यय करने का	5,00,000/रूपये

	अनुमान है व संदिग्ध अधिकारी द्वारा बीएमडब्लयू मोटरसाईकिल को वर्ष 2020 से उपयोग में लेने में प्रयुक्त ईंधन, बीमा, मेन्टेनेन्स के रूप में लगभग 2,00,000/रूपये व्यय करने का अनुमान है। इस प्रकार संदिग्ध अधिकारी द्वारा चैक अवधि में खरीद कर काम में लिये गये वाहनों को उपयोग में लेने में प्रयुक्त ईंधन, बीमा, मेन्टेनेन्स के रूप में लगभग 5,00,000/रूपये व्यय करने का अनुमान है।	
6	संदिग्ध अधिकारी द्वारा अपनी दूसरी पत्नी श्रीमती अंजु शर्मा के बैंक खातों में स्वयं के खाते से ऑनलाईन माध्यम से 1,45,000/रूपये जमा करवाकर व्यय करने का अनुमान है।	1,45,000/रूपये
7	संदिग्ध अधिकारी द्वारा अपनी दूसरी पत्नी श्रीमती अंजु शर्मा के बैंक खातों में कैश पर्ची द्वारा 03,09,500/रूपये जमा करवाकर व्यय करने का अनुमान है।	03,09,500/रूपये
8	संदिग्ध अधिकारी द्वारा अपनी पहली पत्नी श्रीमती मोहिनी राठौड के बैंक खातों में स्वयं के खाते से ऑनलाईन माध्यम से 5,18,812/रूपये जमा करवाकर व्यय करने का अनुमान है।	5,18,812/रूपये
9	संदिग्ध अधिकारी द्वारा अपनी पहली पत्नी श्रीमती मोहिनी राठौड के बैंक खातों में कैश पर्ची द्वारा 4,15,400/रूपये जमा करवाकर व्यय करने का अनुमान है।	4,15,400/रूपये
10	संदिग्ध अधिकारी द्वारा अपने पुत्र हर्षवर्धन सिंह के बैंक खातों में स्वयं के खाते से ऑनलाईन माध्यम से 1,78,550/रूपये जमा करवाकर व्यय करने का अनुमान है।	1,78,550/रूपये
11	संदिग्ध अधिकारी द्वारा अपने पुत्र हर्षवर्धन सिंह के बैंक खातों में कैश पर्ची द्वारा 1,18,000/रूपये जमा करवाकर व्यय करने का अनुमान है।	1,18,000/रूपये
12	संदिग्ध अधिकारी की दूसरी पत्नी श्रीमती अंजु शर्मा द्वारा अपने भाई उमेश शर्मा के बैंक खातों में ऑनलाईन माध्यम से 4,65,000/रूपये जमा करवाकर व्यय करने का अनुमान है।	4,65,000/रूपये
13	संदिग्ध अधिकारी की दूसरी पत्नी श्रीमती अंजु शर्मा द्वारा स्वयं के नाम हैप्पी हार्ट फाउण्डेसन के बैंक खाते में ऑनलाईन माध्यम से 1,00,000/रूपये जमा करवाकर व्यय करने का अनुमान है।	1,00,000/रूपये
14	संदिग्ध अधिकारी द्वारा श्रीमती अन्जू शर्मा से दिनांक 22.04.2022 को सगाई करना सूत्रों से ज्ञात हुआ है तथा दिनांक 24.04.2022 को श्रीमती अंजू शर्मा से विवाह द रानी विलास, सिसोदिया गार्डन जयपुर में करना भी सूत्रों से ज्ञात हुआ है। उक्त दोनों प्रोग्रामों में संदिग्ध अधिकारी द्वारा लगभग 12,00,000/रूपये का व्यय करने का अनुमान है।	12,00,000/रूपये
15	संदिग्ध अधिकारी द्वारा एक फ्लैट नम्बर 1401, 14वां फ्लॉर एयर अपार्टमेन्ट मदरामपुरा अजमेर रोड जयपुर दिनांक 02.02.2022 को स्वयं के नाम से खरीद करना ज्ञात हुआ है। उक्त फ्लैट में इन्टिरियर, फर्नीचर, साज सज्जा के रूप में करीब 10,00,000/रूपये व्यय करने का अनुमान है।	10,00,000/रूपये
16	संदिग्ध अधिकारी द्वारा एक फ्लैट नम्बर 1206 व 1306, 12वां व 13वां फ्लॉर एयर अपार्टमेन्ट मदरामपुरा अजमेर रोड जयपुर दिनांक 02.02.2022 को स्वयं की पत्नी श्रीमती अंजू शर्मा के नाम से खरीद करना ज्ञात हुआ है। उक्त फ्लैटों में इन्टिरियर, फर्नीचर, साज सज्जा के रूप में करीब 18,00,000/रूपये व्यय	18,00,000/रूपये

	करने का अनुमान है।	
17	संदिग्ध अधिकारी की दूसरी पत्नी श्रीमती अन्जू शर्मा के नाम से फर्म हैप्पी हार्ट फाउण्डेसन जयपुर होना भी सूत्रों से ज्ञात हुआ है। उक्त फर्म वर्तमान में 3rd फ्लोर, प्लॉट नम्बर 25, युधिष्ठिर मार्ग, डियर पार्क के सामने, सी–स्किम, अशोक नगर जयपुर में संचालित करना सूत्रों से ज्ञात हुआ है, जिसमें साज, सज्जा, इन्टरियर, फर्नीचर, आदि पर करीब 5,00,000/रूपये व्यय करने का अनुमान है।	5,00,000/रूपये
योग		1,62,16,906/रूपये

संदिग्ध अधिकारी श्री छत्रपाल सिंह द्वारा अपनी नियुक्ति वर्ष 1997(सम्भावित वर्ष) से पहले अर्जित परिसम्पतियों का उल्लेख परिशिष्ट ''अ'' मे दर्शाया गया है, जो शून्य है।

संदिग्ध अधिकारी श्री छत्रपाल सिंह द्वारा अपनी नियुक्ति वर्ष 1997(सम्भावित वर्ष) से अब तक अर्जित परिसम्पतियों का उल्लेख परिशिष्ट ''ब'' मे दर्शाया गया है, जिसके अनुसार संदिग्ध अधिकारी द्वारा स्वयं व परिवारजनों के नाम अर्जित परिसम्पत्तियों का कुल मुल्य 3,57,67,932/रूपये अनुमानित है।

संदिग्ध अधिकारी श्री छत्रपाल सिंह द्वारा अपनी नियुक्ति वर्ष 1997 (सम्भावित वर्ष) से अब तक अर्जित आय का उल्लेख परिशिष्ट ''स'' मे दर्शाया गया है। प्रपत्र ''स'' के अनुसार संदिग्ध अधिकारी व उसके परिवारजनों की ज्ञात श्रोतों से कुल वैध आय लगभग 2,80,05,304/रूपये का अनुमान है।

संदिग्ध अधिकारी श्री छत्रपाल सिंह द्वारा अपनी नियुक्ति वर्ष 1997 (सम्भावित वर्ष) से अब तक किये गये व्यय का उल्लेख परिशिष्ट ''द'' मे दर्शाया गया है, जिसके अनुसार कुल 1,62,16,906/रूपये व्यय करने का अनुमान है।

इस प्रकार संदिग्ध अधिकारी श्री छत्रपाल सिंह व उसके परिवार जनों की चैक पिरियड वर्ष 1997(सम्भावित वर्ष) से अब तक के ज्ञात स्त्रोतो से प्राप्त आय 2,80,05,304/रूपये होकर, अर्जित सम्पति का मूल्य 3,57,67,932/रूपये एवं व्यय राशि 1,62,16,906/रूपये पाई गई है। अतः सम्पति तथा व्यय राशि का जोड 5,19,84,838/रूपये में से उपरोक्त आय 2,80,05,304/रूपये को घटाने पर 2,39,79,534/रूपये की परिसम्पतियां वैध आय के ज्ञात श्रोत से अधिक अर्जित किया जाना गोपनीय सत्यापन से पाया गया है, जो आय से लगभग 85.62 प्रतिशत अधिक है।

संदिग्ध अधिकारी व संदिग्ध अधिकारी से संबंधित निम्न ठिकानों (1) मकान नम्बर 31 महादेव नगर सोडाला जयपुर (2) फ्लैट नम्बर 1401, 14वां फलॉर एयर अपार्टमेन्ट श्याम नगर सब्जी मण्डी के सामने, मदरामपुरा अजमेर रोड जयपुर (3) फ्लैट नम्बर 1206 व 1306, 12वां व 13वां फलॉर एयर अपार्टमेन्ट, श्याम नगर सब्जी मण्डी के सामने, मदरामपुरा अजमेर रोड जयपुर (4) सी–402, 4th फ्लोर, ब्लॉक –सी, फोरच्यून रेजीडेन्सी, टॉवर –सी राजनगर एक्सटेन्सन, गाजियाबाद, उत्तरप्रदेश (5) फर्म ला–टेक सोल्यूसन का पता– 5 ए 39 6ठां तल क्लाउड 9 सेक्टर 1, वैशाली गाजियाबाद (6) फर्म हैप्पी हार्ट फाउण्डेसन का पता– 3rd फ्लोर, प्लॉट नम्बर 25, युधिष्ठिर मार्ग, डियर पार्क के सामने, सी–स्किम, अशोक नगर जयपुर (7) संदिग्ध अधिकारी की पहली पत्नी श्रीमती मोहिनी राठौड के इण्डसईण्ड बैंक शाखा सिविल लाईन जयपुर शाखा कोड 0883 में स्थित लॉकर (8) Simply divine स्पा पता– 507/6, लेन नम्बर 6 राजापार्क जयपुर (9)संदिग्ध अधिकारी का कार्यालय कक्ष महाप्रबंधक तकनीकी विभाग राजकॉम्प इन्फॉ सर्विस लि0, योजना भवन, जयपुर व अन्य की यदि तलाशी ली जाती है तो कई मूल्यवान परिसम्पत्तियों के दस्तावेज, नकदी, एफ.डी.आर, बैंक लॉकर्स, एन.एस.सी स्वर्ण आभूषण एवं अन्य मूल्यवान परिसम्पत्तियां मिलने की सम्भावना है।

इस प्रकार संदिग्ध अधिकारी 1. श्री छत्रपाल सिंह पुत्र श्री महेन्द्रपाल सिंह महाप्रबंधक तकनीकी विभाग राजकॉम्प इन्फॉ सर्विस लि0, योजना भवन, जयपुर, 2. संदिग्ध अधिकारी की पहली

पत्नी श्रीमती मोहिनी राठौड, 3. संदिग्ध अधिकारी की दूसरी पत्नी श्रीमती अन्जू शर्मा, 4. श्री उमेश शर्मा पुत्र श्री मनवीर शर्मा निवासी सी–402, 4th फ्लोर, ब्लॉक –सी, फोरच्यून रेजीडेन्सी, टॉवर –सी राजनगर एक्सटेन्सन, गाजियाबाद, उत्तरप्रदेश, 5. श्री सचिन्द्र गर्ग निवासी विला नम्बर Z-104, गोल्फ लिंक, लैण्ड क्राफ्ट, एनएच 24 गाजीयाबाद, 6. श्रीमती साक्षी कंसल पत्नी शुभम कंसल निवासी 180 सिहानी, नूरनगर, गाजियाबाद उत्तरप्रदेश व अन्य के विरूद्ध वैध आय के ज्ञात स्त्रोत से अधिक परिसम्पत्तियां अर्जित करने व वैध आय के ज्ञात स्त्रोतों से अधिक परिसम्पत्तियां अर्जित करने में संदिग्ध अधिकारी का सहयोग करने का कृत्य अन्तर्गत धारा 13(1)(ई) सपठित 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं धारा 12, 13(1)(बी) सपठित 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथासंशोधित 2018) व 120बी भा.द.सं. के तहत अपराध घटित होना पाया जाता है। अतः बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांकन हेतु प्रेषित है।

(सरोज धायल)
पुलिस निरीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
इन्टे0 जयपुर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सरोज धायल पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, इन्टे. जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 13(1)(ई) सपठित 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं धारा 12, 13(1)(बी) सपठित 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथासंशोधित 2018) व 120बी भा.द.सं. में वर्णित अपराध घटित होना पाया जाने से अभियुक्त 1. श्री छत्रपाल सिंह पुत्र श्री महेन्द्रपाल सिंह महाप्रबंधक तकनीकी विभाग राजकॉम्प इन्फॉ सर्विस लि0, योजना भवन, जयपुर, 2. संदिग्ध अधिकारी की पहली पत्नी श्रीमती मोहिनी राठौड, 3. संदिग्ध अधिकारी की दूसरी पत्नी श्रीमती अन्जू शर्मा, 4. श्री उमेश शर्मा पुत्र श्री मनवीर शर्मा निवासी सी–402, 4th फ्लोर, ब्लॉक –सी, फोरच्यून रेजीडेन्सी, टॉवर –सी राजनगर एक्सटेन्सन, गाजियाबाद, उत्तरप्रदेश, 5. श्री सचिन्द्र गर्ग निवासी विला नम्बर Z-104, गोल्फ लिंक, लैण्ड क्राफ्ट, एनएच 24 गाजीयाबाद, 6. श्रीमती साक्षी कंसल पत्नी शुभम कंसल निवासी 180 सिहानी, नूरनगर, गाजियाबाद उत्तरप्रदेश व अन्य के विरूद्ध अपराध संख्या 233/**2024** उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर श्रीमान महानिदेशक महोदय के निर्देशानुसार अनुसंधान श्री संदीप सारस्वत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो विशेष अनुसंधान ईकाई, जयपुर के सुपूर्द किया गया। प्रतियां एफ.आई.आर. नियमानुसार कता कर जारी की गई।

(ज्ञान सिंह चौधरी)
पुलिस अधीक्षक–प्रशासन
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
राज0 जयपुर

क्रमांक :–1263–1266 दिनांक :–18.10.2024

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. माननीय विशिष्ट न्यायाधीश एवं सेशन न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम मामलात,क्रम संख्या–1 जयपुर
2. श्रीमान सचिव एवं आयुक्त सूचना एवं प्रोद्योगीकी विभाग, राज0 जयपुर
3. श्रीमान उपमहानिरीक्षक पुलिस–प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर
4. श्री संदीप सारस्वत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो विशेष अनुसंधान ईकाई, जयपुर।

(ज्ञान सिंह चौधरी)
पुलिस अधीक्षक–प्रशासन
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
राज0 जयपुर